

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना  
(राज.)

वाद सं. :- 325 / 2024 अन्तर्गत धारा 188 P 7A

राजेश कुमार बनाम सुभाष शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/24	<p>आज यह वाद पत्र वादी/वादीगण की ओर से श्री राजेश कुमार एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया, बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तलबी प्रस्तुत सम्मन तलबाना पर जरिये सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22-11-24 को पेश हो।</p>	
25/11/24	<p>वादी के द्वारा जारी अधिवक्ता हलगत वाद को विश करने का प्रार्थना पेश होने पर पत्रावली रिकार्ड से तलब होकर पेश हुई। वादी के द्वारा इस आधार का प्रार्थना पेश किया है कि प्रकरण में पक्षकारान के अर्थ अधिवक्ता राजीनामा को गमा है। इसलिए वादी प्रकरण को अगे गयी न्यायना पाहला है। कल: वाद को विश करने की अउमलि प्रदान की जावे। वादी को मुका वाफा। पत्रावली का अक्लोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारान के अर्थ राजीनामा होने से वादी प्रार्थना वाद को अगे गयी न्यायना से वादी को हलगत वाद विश करने की अउमलि प्रदान की जावे। वाद रवा रिज किया जावे। गिरफ्त दर्ज गठकर से कल होकर हाकिल दफतर हो।</p>	<p>H K Sharma 45/11/24</p>

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी